Market wisdom, straight from the sharpest minds in the game.

Cut through the noise every day with expert columns that decode trends before they unfold, only in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

शिवालिक स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 501, सालकॉन ऑरम, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली – 110025 सीआईएनः U65900DL2020PLC366027

नीलामी सूचना

शिवालिक स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के निम्नलिखित उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बैंक द्वारा जारी व्यक्तिगत नोटिस सहित विभिन्न मांगों और नोटिसों के बावजूद उनके द्वारा बैंक से लिए गए स्वर्ण ऋण को समायोजित नहीं किया गया है। सभी उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि बैंक के पास सुरक्षा के रूप में रखे गए सोने के आभूषणों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है और तदनुसार पूर्वा. 11:00 बजे उसी शाखा परिसरों में नीलामी की तारीख निर्धारित की गई है, जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया था। उधारकर्ता सहित समस्त आम जनता एवं खाताधारक नीलामी की शर्तों एवं नियमों के अनुसार इस नीलामी में भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि 28 अगस्त 2025 को पूर्वा. 11:00 बजे है।

क्र.सं.	शाखा	खाता नं.	खाता धारक का नाम
1	गाजियाबाद	101542514689	पुष्पेंद्र कुमार
2	इंदिरापुरम	101942518831	विशाल गौतम

बैंक किसी भी खाते को नीलामी से हटाने या बिना किसी पूर्व सूचना के नीलामी को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

प्राधिकृत अधिकारी, शिवालिक स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड

गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड

CIN : L24304HP2018PLC011898
पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट संख्या १, खसरा संख्या २६४ से २६७, औद्योगिक क्षेत्र, ऊना, गाँव बसाल - १७४३०३, हिमाचल प्रदेश.
टेलीफोन : +९१ १९७५ २९७८४३
ईमेल : bvdesai@gfl.co.in **वेबसाइट :** www.gfl.co.in

भौतिक शेयरों के हस्तांतरण अनुरोधों को पुनः दर्ज करने के लिए विशेष अवसर

सेबी परिपत्र संख्या SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97 दिनांक २ जुलाई, २०२५ के अनुसार, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड ('कंपनी') के शेयरधारकों को सूचित किया जाता है कि निवेशकों के लिए निवेश को आसान बनाने और उनके द्वारा खरीदी गई प्रतिभूतियों में निवेशकों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए, केवल उन हस्तांतरण कार्यों को फिर से दर्ज करने के लिए ७ जुलाई, २०२५ से ६ जनवरी, २०२६ तक छह महीने की अवधि के लिए एक विशेष अवसर दिया गया है, जो १ अप्रैल, २०१९ की समय सीमा से पहले दर्ज किए गए थे और दस्तावेजों/प्रक्रिया/या अन्यथा में कमी के कारण अस्वीकार / वापस कर दिए गए थे / जिन पर ध्यान नहीं दिया गया था।

उक्त अवधि के दौरान, हस्तांतरण के लिए पुनः जमा की गई प्रतिभूतियाँ (जिनमें २ जुलाई, २०२५ तक कंपनी / आरटीए के पास लंबित अनुरोध भी शामिल हैं) जो कानूनी रूप से मान्य हैं और किसी भी स्वामित्व विवाद से मुक्त हैं, उन पर कार्रवाई की जाएगी और उन्हें केवल डीमैट मोड में जारी किया जाएगा। ऐसे हस्तांतरण-सह-डीमैट अनुरोधों के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

पात्र शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), एमयूएफजी (MUFG) इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) 'गीताकुंज', १, भक्ति नगर सोसाइटी, एबीएस टॉवर के पीछे, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा - ३९० ०१५, ई-मेल : vadodara@in.mpms.mufg.com, संपर्क नंबर : +९१ ०२६५ - ३५६६७६८ से संपर्क करें।

उपरोक्त जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.gfl.co.in पर भी उपलब्ध है।

गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड के लिए
हस्ताक्षरकर्ता/-
भाविन देसाई
कंपनी सचिव
एफसीएस ७९५२

स्थान : वडोदरा
दिनांक : १८ अगस्त, २०२५

मोतीलाल ओसवाल होम फाइनैंस लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : मोतीलाल ओसवाल टावर, रहीमतुल्लाह सयानी रोड, एसटी डिपो के सामने, प्रभादेवी, मुम्बई–400 025,
ई–मेल : hfquery@motilaloswal.com सीआईएन नंबर : U65923MH2013PLC248741

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 ("अधिनियम") और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 ("नियमावली") के प्रावधानों के तहत

अधोहस्ताक्षरी ने मोतीलाल ओसवाल होम फाइनैंस लिमिटेड (एमओएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में उक्त अधिनियम के तहत और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित उक्त नियमावली के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचनाएं जारी की थीं, जिनमें निम्नलिखित कर्जदार(रों) से संबंधित मांग सूचना(ओं) में वर्णित राशियां उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर चुकाने की मांग की गई थी। अधोहस्ताक्षरी का सुविवेचित आधार पर मानना है कि कर्जदार मांग सूचना(एं) प्राप्त करने से बच रही हैं, इसलिए सूचना नियमों के अनुसार चस्पा करने और प्रकाशन के माध्यम से दी जा रही है। मांग सूचना(ओं) की विषयवस्तु का संक्षिप्त विवरण यहां नीचे दिया गया है :

क्र. सं.	ऋण अनुबंध संख्या एवं टॉप–अप नंबर	कर्जदार/ सह–कर्जदार(रों)/ गारंटर का नाम	मांग सूचना तिथि और बकाया राशि	अचल सम्पत्ति का वर्णन
1.	LXMOYAMUNG 922-230632284 एवं LXMOYAMUNG 922-230636215 LXMOYAMUNG5422-230669 855	विनोद कुमार रतन लाल एवं मीनू विनोद कुमार	10–08–2025 एवं रु. 11,51,256/– (रूपये ग्यारह लाख इक्यावन हजार दो सौ छप्पन मात्र)	खाता नंबर 18, खतौनी नंबर 19, खसरा नंबर 16//22/3/2 23/2 ग्राम लोपोन तहसील छछरौली जिला यमुनानगर, हरियाणा, निकट शिव मंदिर–135103, हरियाणा
2	LXMOMAY URV5523-240696016	अनिल कुमार एवं ममता अनिल	11–08–2025 एवं रु 12,67,247/– (रूपये बारह लाख सड़सठ हजार दो सौ सैंतालीस मात्र)	प्लॉट नंबर–63 का दक्षिणी भाग, ढाकया खेवट/खाता नंबर–120/126, मुस्तातिल नंबर–18, किला नंबर–22(7–18), और खेवट/खाता नंबर 121/127, मुस्तातिल नंबर–27, किला नंबर– 2/2(2–5), मुस्तातिल नंबर–18, किला नंबर 20/1(2–4), 21/1(1–17), एवं खेवट/खाता नंबर 115/121, मुस्तातिल नंबर–18, किल्ला नंबर–19 और खेवट/खाता नंबर 101/103, मुस्तातिल नंबर–18 (16–2), 4 कनाल 17(8–0), 23(8–0), 24(8–0), 27(3–1), 6–12 कनाल 4/1(1–13), वाका सियाना मौजा गढौली खुर्द अंदर हद्दूद नगर निगम गुरूग्राम, तहसील कांढीपुर, जिला गुरूग्राम, हरियाणा (साइट ब्लॉक जे, सरस्वती एन्क्लेव के अनुसार) गुरूग्राम, हरियाणा, 122001

कर्जदार(रों) को एतद्द्वारा मांग सूचना(ओं) का अनुपालन करने और उसमें तथा यहां ऊपर वर्णित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिन के भीतर, भुगतान की तिथि तक लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस प्रभार, लागत और खर्चों सहित करने की सलाह दी जाती है। कर्जदार नोट करें कि एमओएचएफएल एक प्रतिभूत लेनदार है और कर्जदार(रों) द्वारा प्राप्त की गई ऋण सुविधा कर्जदार(रों) द्वारा बंधक रखी गई प्रतिभूत आस्ति(यों) के रूप में अचल सम्पत्ति/सम्पत्तियों के ऐवज में एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि उक्त कर्जदार एमओएचएफएल को उपरोक्तानुसार भुगतान नियत अवधि के भीतर करने में असफल रहेंगे, तो **एमओएचएफएल** उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत सभी अधिकारों का प्रयोग करने और प्रतिभूत आस्ति(यों) का कब्जा लेने की हकदार होगी, जिसमें उसको बिक्री द्वारा हस्तांतरित करने अथवा अधिनियम और तदधीन विरचित नियमों के तहत कोई अन्य उपाय करने और वसूली करना सम्मिलित है, जो केवल उसी तक सीमित नहीं है। **एमओएचएफएल** को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार प्रवर्तन से पूर्व प्रतिभूत आस्ति(यों) को **जब्त तथा/अथवा सील** करने का भी अधिकार है। प्रतिभूत आस्ति(यों) की बिक्री के बाद, **एमओएचएफएल** को बकाया राशियों की वसूली के लिए अलग कानूनी कार्यवाही आरंभ करने का भी अधिकार है, यदि बंधक सम्पत्तियों की बिक्री से एमओएचएफएल की बकाया राशि की पूरी वसूली नहीं हो पाती है। यह उपाय एमओएचएफएल को किसी अन्य कानून के तहत उपलब्ध सभी अन्य उपायों से अलग और अतिरिक्त है।

कर्जदार(रों) का ध्यान, प्रतिभूत आस्तियां छुड़ाने हेतु उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13(8) की ओर और इसके अलावा अधिनियम की धारा 13(13) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके द्वारा कर्जदार(रों) पर एमओएचएफएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत आस्ति(यां) बिक्री, पट्टा या अन्य प्रकार से (साधारण व्यवसाय छोड़कर) हस्तांतरित करने पर रोक लगी है तथा उपरोक्त का अनुपालन नहीं किया जाना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरी के पास उपलब्ध है और कर्जदार यदि इच्छुक है, उसको अधोहस्ताक्षरी से किसी भी कार्यदिवस को सामान्य कार्यसमय के दौरान प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : हरियाणा
तिथि : 19–08–2025

हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी,
मोतीलाल ओसवाल होम फाइनैंस लिमिटेड

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking)
सिंडिकेट Syndicate

ई-नीलामी बिक्री सूचना

केनरा बैंक : वसूली अनुभाग, पंचकुला
फोन नं. 7009727632, 6395959753, ई-मेल: rocpcarec@canarabank.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री सूचना

एतद्दारा आम जनता को तथा विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित लेनदार के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका कब्जा केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें सेवा प्रदाता बैंकनेट (मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड) (संपर्क संख्या 8291220220, ईमेल: support.baanknet@psballiance.com) द्वारा आयोजित नीलामी में "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा।

क्र.सं. 1 ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20.09.2025 शाम 5:00 बजे तक
क्र.सं. 1 ई-नीलामी की अंतिम तिथि 22.09.2025 (दोपहर 12:30 से दोपहर 1:30 बजे तक)

क्र.सं. 2 ईएमडी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 06.09.2025 शाम 5:00 बजे तक
क्र.सं. 2 ई-नीलामी की अंतिम तिथि 08.09.2025 (दोपहर 12:30 से दोपहर 1:30 बजे तक)

(बिक्री के समापन तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ)

क्र. सं	शाखा का नाम/ ऋणकर्ता/गारंटर का नाम व पता	संपत्तियों का संक्षिप्त ब्यौरा	विनिर्दिष्ट तिथि के अनुसार कुल देनदारी	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि जमा (ईएमडी) (रु. में)	खाता सं. विवरण / आईएफएससी कोड / कब्जा सूचना
1	**केनरा बैंकः पिपली शाखा, प्राधिकृत अधिकारीः श्री अनिल कुमार, (मो.) 8572803224, ईमेलः cb3224@canarabank.com** 1. ओ–केम सीलर्स प्रा. लि. (उधारकर्ता) गांव सिरसमा, भारत गैस गोदाम के पास, पिपली, कुरूक्षेत्र–136118, 2. श्रीमती. अंजलि पत्नी श्री विकास रोहिला (निदेशक) मकान नं. 708 सेक्टर–5, अर्बन एस्टेट, कुरूक्षेत्र–136118, 3. श्री. अंशुल कुमार पुत्र श्री. विनोद रोहिल्ला (निदेशक) मकान नं. 685 सेक्टर–5, अर्बन एस्टेट, कुरूक्षेत्र–136118	व्यावसायिक संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि उस पर भविष्य में होने वाले सभी निर्माण सहित 1के–0एम (20 मरला यानी 605 वर्ग गज) क्षेत्रफल वाला प्लॉट अर्थात 20/1811, क्षेत्रफल 90के–11एम का हिस्सा खेवट संख्या 168, कित्तास 18, गाँव सिरसमा, तहसील थानेसर, जिला कुरूक्षेत्र में स्थित, पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 6309 दिनांक 27–12–2013 म्यूटेशन संख्या 3136 द्वारा खरीदा गया, जिसकी सीमाएं: उत्तर–श्री कश्मीर चंद की भूमि, दक्षिण–श्री जसमेर सिंह की भूमि, पूर्व–सड़क, पश्चिम–श्री की भूमि राजबीर सिंह, सरसई सिक्योरिटी इंटरेस्ट आईडी–400068027380 सरसई एसेट आईडी–200069111288	कुल देयताएं: रु. 5,88,093.14/– दिनांक 17.04.2025 तक प्लस आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार (वसूली घटाकर, यदि कोई हो)	रु. 67.00 लाख	रु. 6.70 लाख	209272434 CNRB0003224 सांकेतिक कब्जा
2	**केनरा बैंकः एसएमई पंचकुला शाखा, प्राधिकृत अधिकारीः श्री अनिल कुमार, (मो.) 98725–92374, ईमेलः cb2374@canarabank.com** 1. श्री विवेक कुमार पुत्र श्री शंभू सिंह (उधारकर्ता) मकान नं. 653, रामदरबार कॉलोनी, फेज ।। औद्योगिक क्षेत्र चंडीगढ़–160002 और: #161–ए, बालाजी एन्क्लेव, कौलीमाजरा, लालरू तहसील राबस्सी, जिला सास नगर–140413. 2. श्री सुंदर कुमार पुत्र शंभू सिंह (सह–उधारकर्ता) #146, फेज–।।, रामदरबार कॉलोनी चंडीगढ़ औद्योगिक क्षेत्र–160002	व्यावसायिक संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एससीएफ–9, बालाजी ग्रीन, ग्राम– समलेहड़ी, भूमि माप 8 बीघा, 15 बिस्वा, 14 बिस्वांसी खेवट/खतौनी संख्या 8/22 में शामिल, खसरा नंबर 359/1(1–6–18), 360/1(1–3–0), फिटा 2, अर्थात भूमि माप 2 बीघा 9 बिस्वा 18 बिस्वांसी इसका हिस्सा 912/988 हिस्सा अर्थात 2 बीघा 5 बिस्वा 12 बिस्वांसी और खसरा नंबर 552/356/2(1–12–01), 358(3–12–0), 357/2(1–6–01), फिटा 3 अर्था त भूमि माप 6 बीघा 10 बिस्वा 2 बिस्वांसी गाँव समलेहड़ी, तहसील डेराबस्सी, जिला सास नगर यह सम्पत्ति वसीका संख्या 1912 दिनांक 04.08.2017 के तहत विवेक कुमार पुत्र शंभू सिंह और सुंदर कुमार पुत्र शंभू सिंह के नाम पर है। निम्नलिखित सीमाएँ: – उत्तर–सामने वाली सड़क, दक्षिण–अन्य स्वामी, पूर्व–एससीएफ संख्या 10 और पश्चिम–एससीएफ प्लॉट संख्या 8	कुल देयताएं: रु. 12,80,079.49/– दिनांक 31.07.2023 तक प्लस आगे का ब्याज एवं अन्य प्रभार (वसूली घटाकर, यदि कोई हो)	रु. 7.09 लाख	रु. 0.70 लाख	209272434 CNRB0002374 भौतिक कब्जा

अन्य नियम एवं शर्तें:

ए) संपत्ति को सभी मौजूदा और आगे के भार, चाहे वे बैंक को ज्ञात हों या अज्ञात, के साथ बेचा जा रहा है, प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूति ऋणदाता किसी भी तरह से किसी भी तृतीय पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। क्रेता को अपनी संतुष्टि के लिए संपत्ति से संबंधित सभी पहलुओं की उचित जाँच करनी चाहिए। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में सुरक्षित परिसंपत्तियों से संबंधित अन्य विवरणों के स्वामित्व और सत्यता से स्वयं को संतुष्ट कर लें, जिसमें संबंधित अचल सुरक्षित परिसंपत्ति का आकार/क्षेत्रफल भी शामिल है, तथा बोली प्रस्तुत करने से पहले संबंधित प्राधिकारियों से उनकी संतुष्टि के लिए अन्य बकाया/देयता/भार का भी पता लगा लें। क्रेता को बाद में इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदारों के विरुद्ध कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

बी) नीलामी/बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली" के माध्यम से वेबसाइट https://www.bankeauctions.com के माध्यम से होगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में भाग लेने से पहले विस्तृत शर्तों के लिए वेबसाइट देखें।

सी) बिक्री नोटिस में उल्लिखित तिथियों पर प्राधिकृत अधिकारी के साथ पूर्व नियुक्ति के साथ संपत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है।

डी) संपत्ति को आरक्षित मूल्य से अधिक कीमत पर बेचा जाएगा और भाग लेने वाले बोलीदाता नीलामी प्रक्रिया के दौरान अपने प्रस्ताव में और सुधार कर सकते हैं।

ई) आरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी राशि सीधे मेसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड (बैंकनेट) पोर्टल के ई-वॉलेट में जमा की जानी है या चालान तैयार करके उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करना है।

एफ) ईएमडी राशि के भुगतान के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों/विवरणों की एक प्रति क्र.सं. 1 के लिए 20.09.2025 तक या उससे पहले और क्र.सं. 2 के लिए 06.09.2025 तक शाम 5.00 बजे तक केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय पंचकूला शाखा को हाथ से या ईमेल द्वारा जमा करनी चाहिए।

i) ईएमडी राशि के लिए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर। यदि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से भुगतान किया गया है, तो यूटीआर नंबर के साथ उसकी पावती रसीद।

ii) पैन कार्ड, पहचान पत्र और पते के प्रमाण की फोटोकॉपी। हालाँकि, सफल बोलीदाता को बोली राशि के 25% की शेष राशि का भुगतान करते समय इन दस्तावेजों की मूल प्रति बैंक में प्रस्तुत करनी होगी।

iii) बोलीदाता का नाम, संपर्क नंबर, पता, ई-मेल आईडी।

iv. बोलीदाता के खाते का विवरण, ईएमडी की ऑनलाइन वापसी के लिए।

जी) इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल https://baanknet.in/ पर पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता बैंकनेट (संपर्क संख्या 8291220220, support.baanknet@psballiance.com) से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। h) असफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि उन्हें वापस कर दी जाएगी। अग्रिम राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।

आई) नीलामी ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य पर शुरू होगी। बोलीदाता अपनी पेशकश को क्र.सं. 1 के लिए 20,000/- रुपये और क्र.सं. 2 के लिए 5,000/- रुपये के गुणकों में बढ़ा सकते हैं। 'ऑनलाइन' नीलामी समाप्त होने पर जो बोलीदाता सबसे ऊँची बोली (आरक्षित मूल्य से अधिक) प्रस्तुत करेगा, उसे सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा। सुरक्षित लेनदार द्वारा इसकी पुष्टि के अधीन, सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जाएगी।

जे) सफल बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित करने के तुरंत बाद बिक्री मूल्य का 25% (पहले से भुगतान की गई अग्रिम राशि सहित) जमा करना होगा और शेष राशि सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी। यदि सफल बोलीदाता बिक्री मूल्य का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसके द्वारा जमा की गई राशि बिना किसी नोटिस के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को तुरंत फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा। 50.00 लाख रुपये (पचास लाख रुपये) और उससे अधिक की बिक्री आय के लिए, सफल बोलीदाता को बिक्री आय पर 1% की दर से टीडीएस काटना होगा और टीडीएस प्रमाण पत्र की मूल रसीद बैंक को प्रस्तुत करनी होगी।

के) सभी परिवहन शुल्क, स्टाम्प शुल्क/जीएसटी, पंजीकरण, एनडीसी शुल्क आदि, जो भी लागू हो, केवल सफल बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

एल) सफल बोलीदाता को विषयगत संपत्ति के संबंध में और/या उसे प्रभावित करने वाले सभी सोसायटी शुल्क, नगर निगम कर/पंचायत कर/बिजली/जल शुल्क/अन्य शुल्क, शुल्क और करों का भुगतान करना होगा, जिसमें बकाया राशि, यदि कोई हो, शामिल है।

एम) प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी के नियमों और शर्तों को स्थगित/रद्द या परिवर्तित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

एन) यदि ऐसे बोलीदाता हैं जिनके पास इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, लेकिन वे ई-नीलामी में भाग लेने में रुचि रखते हैं, तो वे सुविधा केंद्र के रूप में केनरा बैंक, करनाल सर्कल कार्यालय या क्षेत्रीय कार्यालय, पंचकूला से संपर्क कर सकते हैं।

विशेष अनुदेश/सावधानी

अंतिम मिनटों/सेकंड में बोलीदाताओं को अपने हित में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता या विक्रेता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो केनरा बैंक और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जैसे बैक–अप, बिजली आपूर्ति और जो भी आवश्यक हो, कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15/30 दिन की बिक्री सूचना

दिनांकः 18.08.2025, स्थानः पंचकुला **प्राधिकृत अधिकारी केनरा बैंक**

श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

(पूर्व की श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड)
पंजीकृत कार्यालय : 14ए, श्री टॉवर्स, साउथ फेस इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032
शाखा कार्यालय : एससीओ-65, दूसरी मंजिल, सेक्टर-20/सी, चंडीगढ़, पिनकोड-160020
वेबसाइट : www.shriramfinance.in

माँग सूचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार ''श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जैसा कि यहां नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों ने **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** से वित्तीय सहायता ग्रहण की थी। हमारा कहना है कि वित्तीय सहायता ग्रहण करने के बावजूद, कर्जदारों/जमानतियों ने नियत तिथियों के अनुसार ब्याज तथा मूलधन के पुनर्भुगतान में विभिन्न चूक की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों/दिशा-निर्देशों के अनुसार खाते को नॉन-पर्फार्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया जिसके परिणामस्वरूप **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड** के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) में प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में निम्नलिखित कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं से सूचनाओं में उल्लिखित राशि पर अनुबंध दर से भावी ब्याज सहित भुगतान की तिथि तक आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभारों आदि के साथ राशि का सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित संबद्ध तिथियों पर मांग सूचनाएं जारी की थीं।

उनके अन्तिम ज्ञात पते पर भेजी गयीं सूचनाएँ अनसर्व्ड वापस कर दी गयींऔर उन्हें इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इसी के विषय में सूचित किया जा रहा है।

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों) का नाम तथा पता	बकाया राशि	प्रतिभूत अस्तियों का सम्पत्ति पता
ऋण संख्या RSCHDLP2210060003 **1. मेसर्स अंबाला इंडस्ट्रियल फैब्रिकेटर्स एंड इंजीनियर्स (कर्जदार)** **(अपने साझेदार शिवओम मलिक द्वारा प्रतिनिधित्व)** **पता- गाँव मंढौर, मेन नारायणगढ़ रोड, अंबाला शहर, तहसील और जिला अंबाला, हरियाणा-134003** **2. श्री शिवओम मलिक, पुत्र सुभाष चंद्र मलिक (सह-कर्जदार/गारंटर)** **पता- मकान संख्या 166, मॉडल टाउन, अंबाला शहर, सर्कुलर रोड, हरियाणा-134003** **3. श्रीमती वीरता मलिक, पत्नी सुभाष चंद्र मलिक (सह-कर्जदार/गारंटर)** **पता- मकान संख्या 179, मॉडल टाउन, अंबाला शहर, सर्कुलर रोड, हरियाणा-134003** **एनपीए दिनांक- 02 अगस्त, 2025** **मांग सूचना की तिथि: 11 अगस्त, 2025**	05 अगस्त 2025 तक रु. 79,61,429/- (रुपये उन्यासी लाख इकसठ हजार चार सौ उनतीस) तथा नियम व शर्तों के अनुसार अतिरिक्त ब्याज और शुल्क **ऋण राशि** रु. 90,00,000/- (रुपये नब्बे लाख मात्र)	**संपत्ति बसात नंबर 43, खाता नंबर 31//2 3/2 (2-8), 3 9//3/2 (1 -1 6), खाता नंबर 27/30, खसरा नंबर 39//5 मिन (0-16), 31//2 4(8 -0), 25 (8- 0), 39//4 मिन (0-17), 4 मिन (3-7), 5 मिन (0-17), खेवट नंबर 202, गांव मंढौर, मेन नारायणगढ़ रोड, अंबाला शहर तहसील और जिला अंबाला, हरियाणा-134003 निम्नवत सीमाबद्ध: पूर्व: 125 फीट, गगन मलिक पश्चिम: 135 फीट, कृषि भूमि, उत्तर: 51.6 फीट, खाली प्लॉट, दक्षिण: 51.6 फीट सड़क**

उपर्युक्त परिस्थितियों में, एतद्वारा उपर्युक्त कर्जदारों, सह-कर्जदारों तथा/अथवा जमानतियों (जो भी प्रयोज्य हो) को ऊपर उल्लिखित के अनुसार भावी ब्याज तथा प्रयोज्य प्रभारों सहित बकाया राशि का इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जिसमें कथित 60 दिनों की समाप्ति के पश्चात असफल होने पर वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) एवं उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अन्तर्गत कर्जदारों तथा बंधककर्ताओं की प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा लेने सहित प्रतिभूत आस्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

कृपया ध्यान दें कि कथित अधिनियम की धारा 13(13) के तहत कोई भी कर्जदार प्रतिभूत लेनदार की पूर्व सहमति के बिना इस सूचना में सन्दर्भित किसी भी प्रतिभूत आस्ति को पट्टे, बिक्री या अन्यथा विधि से हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा।

स्थान : अम्बाला **ह./ अधिकृत प्राधिकारी**
दिनांक : 19.08.2025 **श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड**